न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 14 / 2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

प्रार्थी

बनाम

1. बाबू पुत्र सांवत्या
2. तीजा पुत्री सांवता
3. चौथी पुत्री सांवता

समस्त जाति माली निवासी रजवास तहसील लवाण जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

<u>रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए</u>

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित।

<u>:–निर्णयः–</u> दिनांकः 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी द्वारा ना तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया ना ही बहस के दौरान उपस्थित रहा। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010–22 में ग्राम रजवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 19 बिस्वा गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2019 में खसरा नम्बर 30 रकबा 19 बिस्वा के परिवर्तित खसरा नम्बर 19 रकबा 19 बिस्वा गैर मुमकिन नाला बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 19 रकबा 19 बिस्वा से खसरा नम्बर 52 रकबा 0.03 है. किस्म बारानी–03 बने, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 24.12. 2004 के द्वारा अप्रार्थीगण के पिता सांवता पुत्र रामपाल माली निवासी रजवास के नाम आवंटन की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 131.2005 के द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 0.03 है. अप्रार्थीगण के पिता सांवता पुत्र रामपाल माली निवासी रजवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में उक्त [illegible]रा नम्बर 52 रकबा 0.03 है. अप्रार्थीगण के पिता सांवता पुत्र रामपाल माली [illegible] दर्ज है। अप्रार्थीगण के पिता सांवता पुत्र रामपाल माली निवासी रजवास की गैर [illegible]दारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च [illegible]यालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:34:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 14/2019

बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम ग्राम रजवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 19 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010–22 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2019 में खसरा नम्बर 30 रकबा 19 बिस्वा के परिवर्तित खसरा नम्बर 19 रकबा 19 बिस्वा गैर मुमकिन नाला बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 19 रकबा 19 बिस्वा से खसरा नम्बर 52 रकबा 0.03 है. किस्म बारानी–3 बने, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 24.12.2004 के द्वारा अप्रार्थीगण के पिता सांवता पुत्र रामपाल माली निवासी रजवास के नाम आवंटन की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 13.1.2005 के द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 0.03 है. अप्रार्थीगण के पिता सांवता पुत्र रामपाल माली निवासी रजवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:34:00 IST
Reason: SelfAttested